न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सरधना, मेरठ

दिनांकः 08.01.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0 प्रार्थी आवेश कुमार की ओर से विपक्षीगण अनिल कुमार एवं सोनू यादव के विरूद्ध थाना सरधना में मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

प्रस्तुत प्रा0 पत्र पर न्यायालय द्वारा थाना हाजा से आख्या तलब की गयी । थाने की आख्यानुसार प्रश्नगत प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है ।

प्रार्थी का कथन है कि वह तहसील सरधना में स्टाम्प विक्रेता का कार्य करता है तथा प्रार्थी से दिनांक 17.03.2017 को अंकन पचास हजार रूपये का जनरल स्टाम्प विपक्षी सं0 1 ने वास्ते बैनामा खरीद किया जो कि अंकन सतरह हजार रूपये का स्टाम्प मेरे द्वारा लिखा गया तथा शेष प्रार्थी ने अन्य स्टाम्प विक्रेता से लिखाकर दिया जिसके बदले में विपक्षी सं0 1 ने प्रार्थी को पचास हजार रूपये का चैक सं0 419635 दिनांक 28.03.2017 का दिया । प्रार्थी ने उक्त चैक को अपने खाते स्थित कार्पोरेशन बैंक शाखा सरधना में जमा किया, जो दिनांक 27.06.2017 को निधी अपर्याप्त है लिखकर वापस कर दिया गया । उक्त चैक पर विपक्षी सं0 2 के हस्ताक्षर हैं तथा उन्हीं के एकाउण्ट का चैक है जो कि विपक्षी सं0 1 ने प्रार्थी को दिया था, जिसका भुगतान आज प्रार्थी को नहीं हुआ है । जिसकी सूचना प्रार्थी ने विपक्षीगण को दी तो इन्होंने उक्त चैक का शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया, लेकिन उक्त विपक्षीगण ने कोई भुगतान आज तक नहीं किया । प्रार्थी ने दिनांक 10.09.2017 को उक्त चैक की रकम की पुनः मांग की तो उक्त दोनों विपक्षीगण ने प्रार्थी को गन्दी–गन्दी गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी । तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त विपक्षीगण को नोटिस दिनांक 12.09.2017 को दिया जो विपक्षीगण पर तामील रहा, लेकिन विपक्षीगण ने उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही उक्त चैक का भुगतान किया । विपक्षीगण ने प्रार्थी को धोखा देकर जानबूझकर ठगी की है और पचास रूपये का स्टाम्प हड़प लिया जो तकादा करने के बाद भी नहीं दिये तथा प्रार्थी को गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी । इस घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचना दी गयी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । अतः विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु याचना की गयी है ।

प्रार्थी को विपक्षीगण के नाम व पते मालूम हैं। प्रार्थी को घटना के तथ्यों एवं घटना किस प्रकार कारित की गयी है, इसके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी है । उसे घटना के साक्षियों के नाम भी मालूम हैं । घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी अपना साक्ष्य देने में सक्षम है । प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रकिया संहिता का समुचित निस्तारण

किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा विधि व्यवस्था सुखवांसी बनाम उ0प्र0राज्य 2007 (59) ए0 सी0सी0 सी0 739 में प्रतिपादित किया गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित थाना में मामला दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित करे, अपितु न्यायालय के पास यह न्यायिक विवेकाधिकार है कि वह प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज कर परिवाद मामले के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है । अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है ।

आदेश

प्रार्थी आवेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज हो । पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 दिनांक 25–01–2018 को पेश हो ।

(सौरभ कुमार वर्मा)
जे0एम0 सरधना,
मेरठ ।